फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़
रामपाल बनाम तनवीर सिंह सिंधु तहसीलदार विराटनगर वगै0
केस संख्या .....54...../2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.08.2024	दरख्वास्तगुजार ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय तहसीलदार विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवान राज्य सरकार बनाम रामपाल मुकदमा नम्बर 24/2024 को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय तहसीलदार विराटनगर से बिन्दुवार टिप्पणी हेतु तहरीर जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि0 नोटिस तलवान पेश करे, जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.08.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
27/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ए.5 की ओर से श्री अजित कुमार Adv ने V.T. दी। शेष प्रार्थीगण की तामिल हो चुकी टेलेनिक उपस्थित नहीं है। वाद पेश होने व वकालतनामा व प्रार्थना पत्र व तहत की टिप्पणी हेतु पत्रावली दिनांक 17/9/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	V.T for अजित ए.5 की ओर से 27/8/ (अजित कुमार) 9928955639
17/9/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/~~अनुपस्थित~~/पीठासीन अधिकारी ~~आज अवकाश~~/~~दौरे/मिटिंग~~/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9.10.24 को पेश हो। प्रार्थी ए.5 की ओर से Adv श्री सुफीर कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रीडर	
9/10/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर के पीठासीन अधिकारी पर न्याय की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिया गया है तथा तहत के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से यह इक तुरंत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं तौर से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहत के रिकार्ड की वापिस भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	R2/9/018 9/10/24